

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

श्रीमती कमला देवी वगैरा बनाम् सत्यनारायण गुर्जर वगैरा
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-4399/2015

आदेश दिनांक

18.01.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश चन्द्र सोमानी

श्री भानू प्रकाश वर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्वान अधिकरण ने मृतक की आय बाबत प्रस्तुत साक्ष्य का सही तौर पर विवेचन नहीं किया है तथा मृतक के self expenses के मद में आधी राशि की कटौति करके गम्भीर त्रुटि की है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि हस्तगत अपील विद्वान अधिकरण द्वारा दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि में अभिवृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 पर अपील के नोटिस की तामील dispense with करने की प्रार्थना की। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण की cost & consequences पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की तामील dispense with की जाती है।

अतः केवल प्रत्यर्थी संख्या 3 को चार सप्ताह की वापसी के लिए अपील के नोटिस जारी किए जावे। विद्वान अधिकरण का अभिलेख तलब किया जावे।

(न्या. दिनेश चन्द्र सोमानी)